

फॉर्म अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मनोजकुमार बनान शपापलत (कॉरा)

रन मुकदमा प्री-पत्र 111-128 नं० 64 2021

हुकम या कार्यवाही मया इनिशायलस आज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

21 वाद / प्रार्थनापत्र बाल जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर दिनांक जारी
दिपलौगण को खसमन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 30-9-21 को
पेश था ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

20/10/21 पत्रावली प्रशासन जानी के संग अधिवान मे पेश
हुई, अधिवान के समाप्त बाद तारीख 06-10-21 को
हुए एवं पत्रावली बाल जाँच द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई
जिसे शा-पत्र किया गया। प्रार्थना पत्रावली पत्रावली
किया जाकर निर्णय सुनवाई से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फॉर्मल सुमारबंद
नम्बर से कम हो।

डॉ. पूजा मुखर्जी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन बोर्ड के संग अधिवान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

रीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

क्रमा संख्या :- 64/21 प्रमाणपत्र
नेमनील पुष्पा 50 गालापालधरा राता देवर निवासी करैडा हात्तनिकासी
पारत्रीनगर कालोनी गौलीवार रोड, गांता कुण, पूर्व गुमई (भारत) --- प्रार्थी

बनाम

श्यामलाल 510-भाभीलात आचार्य निवासी- वागोर तहसील विपक्षीगण (गंभी)
(सिद्धांति प्रा.पराकंग)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 20-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
न किया कि ग्राम वागोर II पटवार हल्का वागोर II तहसील मांडल/में उसके

/संयुक्त खातों की आराजी नं 5959, 4879 कुल कित्ता 0.2
0.3864 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी

यिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते
क्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17/8/21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को

गोकार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा

तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
न्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वागोर II
र हल्का वागोर II तहसील मांडल में स्थित आराजी नं 5959, 4879

कुल कित्ता 0.2 रकबा 0.3864 हेक्टेयर

के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।
रगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वागोर को 500/-

ये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें।
श्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील

दुको आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा

तिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की 2021
कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा